न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/167 दायरा दिनांक : 27.09.2022

उनवान

1– अनन्त आयु 10 वर्ष ना0 बा0 पुत्र परमेश्वर सिंह, जाति पिण्डारा जर्ये वलीया माता कविता पत्नि परमेश्वर सिंह, जाति पिण्डारा
2– कविता, आयु 49 वर्ष पत्नी परमेश्वर सिंह, जाति पिण्डारा
3– कुशलाल आयु 47 वर्ष पुत्री बसन्तीलाल, जाति पिण्डारा
4– भगवती आयु 45 वर्ष पुत्री बसन्तीलाल, जाति पिण्डारा
5– कमलेश आयु 43 वर्ष पुत्री बसन्तीलाल, जाति पिण्डारा
6– उमा आयु 40 वर्ष पुत्री बसन्तीलाल, जाति पिण्डारा
7– रचना आयु 30 वर्ष पुत्री बसन्तीलाल, जाति पिण्डारा
8– डेनी आयु 27 वर्ष पुत्र बसन्तीलाल, जाति पिण्डारा
निवासीगण किसान नर्सरी, आनन्द विहार कॉलोनी, कोठी रोड़ झालावाड़, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– संजय पाटीदार, आयु 41 वर्ष पुत्र रामस्वरूप पाटीदार, जाति पाटीदार, निवासी पाटीदार सदन, झालावाड, जिला झालावाड (राज0)
2– निधि चौहान पत्नी रामेश्वर सिंह चौहान पुत्री रामसिंह, जाति चौहान, निवासीया खण्डिया कॉलोनी, झालावाड, जिला झालावाड (राज0)
3– दिव्य प्रताप सिंह आयु 5 वर्ष ना0 बा0 पुत्र रामेश्वर सिंह चौहान जर्ये वलीया माता निधि चौहान पत्नी रामेश्वर सिंह चौहान, पुत्री रामसिंह, जाति चौहान, निवासीया खण्डिया कॉलोनी, झालावाड जिला झालावाड (राज0)
4– बसन्ती लाल आत्मज पांच्या, जाति पिण्डारा, निवासी बी–49, हास्पीटल परिसर के पास, कोठी रोड़, झालावाड जिला झालावाड (राज0)
5– कैलाशबाई पत्नी बसन्तीलाल, जाति पिण्डारा, निवासी बी–49, हास्पीटल परिसर के पास, कोठी रोड़, झालावाड जिला झालावाड (राज0)
6– उपपंजीयक महोदय, कार्यालय झालावाड, पता झालरापाटन जिला झालावाड (राज0)
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, पता तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रघुवीर सिंह राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 22.04.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के प्रकरण संख्या – 911/दावा/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा अपने निर्णय व डिकी दिनांक 20.06.2022 में प्रतिवादिया निधि चौहान पत्नि रामेश्वर सिंह जाति चौहान, निवासी खण्डिया कॉलोनी, झालावाड को सुना गया तथा उनके द्वारा इकबाली जवाबदावे का आद्योपान्त अध्ययन किया गया था

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तथा इसी सन्दर्भ में आर.आर.डी. 1996 रामदयाल बनाम काना एवं आर.आर.डी. 1996 स्टेट राजस्थान बनाम कुपाराम व अन्य में पारित निर्णय 24.12.1995 का भी अवलोकन किया जिसमें वादीगण का दावा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस रूप में डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी में वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। शेष वादी का वाद वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हकों की घोषणा का निरस्त किया जाता है। इसी आधार पर इस वादी की तरमीम डिक्री बनाई जावे। प्रतिवादिया द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा एवं माननीय उच्चतर न्यायालयों निर्णय से प्रथम दृष्टया वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम झालावाड तहसील झालरापाटन खाता संख्या नया 706 पुराना 282 कुल किता 4 रकबा 0.7588 हे0 आराजी में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें व जबरदस्ती कब्जा नहीं करें फर्द डिक्री जारी हो, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नं. 1 के द्वारा रेस्पो. नं. 2 के साथ कपट संधि करके योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड जिला झालावाड (राज0) में दिनांक 09.05.2022 को एक राजस्व वाद सं. 911/2022 बउनवान संजय पाटीदार बनाम निधि चौहान आदि वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92क, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। उक्त वाद में नियत तारीख पेशी दिनांक 20.06.2022 से पूर्व की शीघ्र सुनवाई के आवेदन के साथ रेस्पो. नं0 2/(प्रतिवादी सं. 1) की तरफ से इकबाली जवाब दावा पेश कर दिया गया। इस पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण सं. 3 एवं 4 के तामील हुए बिना ही एवं किसी भी पक्ष की साक्ष्य लिये बिना ही उक्त वाद में पूर्व से नियत तारीख पेशी दिनांक 20.06.2022 वास्ते आदेश नियत कर दी गई एवं दिनांक 20.06.2022 को उक्त वाद स्वीकार करते हुए डिक्री एवं निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। उक्त डिक्री एवं निर्णय जैर अपील से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2022 न्याय, विधि एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद कृषि भूमि से संबंधित एक वाद बउनवान चन्द्रसिंह बनाम रामपाल आदि पूर्व से ही उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में लम्बित है जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सं. 199/2011 भी पेश किया गया था, जिसमें दिनांक 10.09.2012 को अंतिम रूप से निर्णित करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रखी है एवं उक्त भूमि रहन, बेय एवं दान नहीं करने बाबत भी बसन्तीलाल जी को पाबन्द कर रखा है। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10.09.2012 के प्रभावी रहने के दौरान ही बसन्तीलाल जी से अस्थायी निषेधाज्ञा का उल्लंघन कराते हुए उनके मृतक पुत्र रामेश्वर सिंह के द्वारा धोखे से एवं तथ्यों को छिपाकर दान पत्र सं. 201801094000830 पंजीकृत करवा लिया।

उपरोक्त दान पत्र की जानकारी होते ही अपीलांट के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में उक्त दान पत्र सं. 201801094000830 को शून्य एवं निष्प्रभावी की घोषणा कराते हुए निरस्त कराने बाबत एक राजस्व वाद सं. 853/2021 बउनवान अनन्त बनाम बसंतीलाल आदि पेश किया जिसमें रेस्पोडेंट नं. 2 निधि चौहान पक्षकार प्रतिवादी सं. 2/1 एवं रेस्पोडेंट नं. 3 दिव्य प्रताप सिंह पक्षकार प्रतिवादी सं. 2/3 है। उक्त दोनों वाद वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में विचाराधीन है।

प्रतिवादी सं. 1 बसन्तीलाल के द्वारा उक्त राजस्व वाद 853/2021 में जवाबदेही करते हुए उक्त दान पत्र सं. 201801094000830 को स्वैच्छा से करवाये जाने बाबत इंकार करते हुए अन्तर्गत धारा 126 टी.पी. एक्ट के तहत वापस लेते हुए स्थायी रूप से निरस्त कर दिया है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में राजस्व वाद 853/2021 बउनवान अनन्त बनाम बसन्तीलाल आदि में अपीलांट ने उक्त दान पत्र सं. 201801094000830 को अपीलांट के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराते हुए इस पैतृक कृषि भूमि में अपीलांट सं. 1 एवं 2 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/9 से एवं अपीलांट सं. 3 लगायत 8 को प्रत्येक का हिस्सा 1/9 से खातेदार कृषक घोषित कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष चाहा गया है।

इसके अलावा रेस्पो. नं. 1 संजय पाटीदार एवं अन्य के विरूद्ध उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि में बिना कनवर्ट कराये आवासी प्रयोजनार्थ भू खण्ड कायम करते हुए 13 भू खण्डों की विक्रय रजिस्ट्रीयां भी करवा ली गई जिन्हें निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में पृथक से वाद पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

इन समस्त तथ्यों की जानकारी होते हुए भी रेस्पों. नं. 1 ने रेस्पो. नं. 2 से कपट संधि करके यह डिक्री एवं निर्णय जैर अपील दिनांक 20.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड से जारी करवा ली एवं इस आड में रेस्पो. नं. 1 अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है एवं पुलिस में झूठी रिपोर्ट करवा कर अपीलांट को पुलिस से भयभीत करवा रहा है। संजय पाटीदार ने अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड से गिरफ्तारी वारन्ट जारी करवा दिये हैं। इस कारण उक्त डिक्री एवं निर्णय जैर अपील को निरस्त करवाना अपीलांट के लिये आवश्यक हो गया है।

तथाकथित दानपत्र अपीलांट के हितों के विरूद्ध है। मृतक पुत्र रामेश्वर सिंह को आज तक किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं संभलाया गया है। मौके पर भौतिक रूप से अपीलांट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। रामेश्वर सिंह की बसन्तीलाल जी के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई है एवं उसकी पत्नी रेस्पो0 नं. 2 निधि ना0 बा0 पुत्र दिव्य प्रताप सिंह आयु 5 वर्ष को लेकर उसके पीहर चली गई है। यदि रेस्पो. नं. 1 ने रेस्पो. नं. 2 से सांठ–गांठ करके न्यायालय को गुमराह कर कपटपूर्वक प्राप्त की गई उक्त डिक्री एवं निर्णय जैर अपील की आड में उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया एवं रेस्पोडेंट नं. 1 ने उक्त कृषि भूमि में कई दीगर व्यक्तियों को अनाधिकृत रूप से आवासीय भू खण्ड बेचान कर दिया तो अपीलांट को कई दीगर व्यक्तियों से मुकदमेंबाजी में उलझना पडेगा। अपीलांट से उनकी कृषि भूमि छिन जावेगी।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलांट के विरूद्ध निष्प्रभावी एवं शून्य घोषित की जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 22.08.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपीलांट ने धारा 96 सी पी सी पेश कर कथन किया कि अपीलांट ने उक्त शीर्षक की अपील माननीय न्यायालय में पेश कर दी है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। अपील में वर्णित कारणों को इस प्रार्थना पत्र का भाग मान कर पढ़ा जावे।

उक्त डिक्री एवं निर्णय जैर अपील दिनांक 20.06.2022 से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है, इसमें अपीलांट्स के हित प्रभावित हो रहे हैं।

वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पैतृक है एवं वादग्रस्त आराजी में अपीलांट सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/9 एवं अपीलांट सं. 3 लगायत 8 प्रत्येक को 1/9 हिस्से के हकदार हैं एवं मौके पर इसी हिस्से अनुसार बदस्तूर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं।

(ममता [illegible] तिवारी)
भू-[illegible] अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पो. नं. 1 के द्वारा रेस्पो. नं. 2 के साथ कपट संधि करके अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में राजस्व वाद सं. 911/2022 बउनवान संजय पाटीदार वनाम निधि चौहान आदि वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट पेश कर छलपूर्वक उक्त डिक्री एवं निर्णय जैर अपील प्राप्त कर ली एवं इसकी जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी। उक्त डिक्री एवं निर्णय जैर अपील अपीलांट्स के विरूद्ध निष्प्रभावी एवं शून्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलांट को राजस्व वाद सं. 911/2022 बउनवान संजय पाटीदार बनाम निधि चौहान आदि वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के द्वारा पारित डिक्री एवं निर्णय जैर अपील दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट ने धारा 96 सी पी सी का जवाब पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी पूर्व में पांच्या की थी, पांच्या के मरने के बाद उक्त आराजी उनके पुत्रान रामपाल, बसंतीलाल, गणेशीबाई बेवा के नाम समभाग से खाते दर्ज कर दी गई थी। उक्त आराजी का सहखातेदारान बसंतीलाल व रामपाल के वारिसान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के निर्णय व डिक्री से विभाजन हो चुका है जो नामान्तरकरण सं. 1093 दिनांक 16.09.2010 से पृथक पृथक खाते दर्ज हो चुकी है इस प्रकार उपरोक्त आराजी विभाजन हो जाने से पुश्तैनी नहीं रही है। बसंतीलाल के परमेश्वर सिंह पुत्र रामेश्वर पुत्र कुशला पुत्री भगवती पुत्री कमलेश पुत्री उमा पुत्री, रचना पुत्री, डेनी पुत्र हुए बसंतीलाल द्वारा उक्त आराजी को अपने पुत्र रामेश्वर सिंह को दान कर दी थी तथा उक्त आराजी रामेश्वर सिंह के नाम दर्ज खाता हो चुकी थी तथा उक्त आराजी रामेश्वर सिंह के देहावसान के उपरान्त उनके वारिसान दिव्य प्रताप सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह ना0 बा0 जरिये वली माता 1/2 हिस्सा तथा निधि पत्नि स्व0 रामेश्वर सिंह के 1/2 हिस्से अनुसार नामान्तरकरण सं. 1733 दिनांक 14.04.2023 को दर्ज खाता हो चुकी है तथा वह उक्त आराजी पर काबिज है। उक्त आराजी में अपीलांट का न तो कब्जा काश्त है और ना ही हक व हिस्सा निहित है। अपीलांट का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है, ना ही वह प्रभावित पक्षकार है, ना ही उन्हें अपील पेश करने का कोई अधिकार ही है। निर्णय एवं डिक्री जैर अपील की अपीलांट को निर्णय व डिक्री की दिनांक से ही जानकारी है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. डी. 1992 पेज 414, आर. आर. डी. 1992 पेज 421, आर. बी. जे. 2022 पेज 289, आर. बी. जे. 2022 पेज 138, आर. बी. जे. 2023 पेज 125, आर. बी. जे. 2023 पेज 285, आर. आर. डी. 1988 पेज 143 (एच.सी.), आर. आर. टी. 2019 (2) पेज 1206, ए. आई. आर. 1987 एस. सी. पेज 1353, ए. आई. आर. 1998 उडीसा पेज 117, आर. आर. डी. 2011 पेज 233 एवं आर. बी. जे. 2024 पेज 112 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. डी. 1981 पेज 667, आर. आर. टी. 2009 (1) पेज 338, आर. आर. टी. 2018 (1) पेज 780, डी. एन. जे. 2008 (एस.सी.) पेज 364, आर. आर. टी. 2009(1) पेज 391, आर. आर. टी. 2017 (2) पेज 907, आर. आर. टी. 2017 (2) पेज 1362 व डी. एन. जे. 2017 (1) पेज 438 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं धारा 5 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा आर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नामान्तरकरण पंजिका 67 ग्राम झालावाड दिनांक 31.10.1977, नकल जमाबंदी संवत 2037–2040 ग्राम झालावाड, नकल नामान्तरकरण सं. 716 ग्राम झालावाड दिनांक 27.05.1984, नकल नामान्तरकरण सं. 740 ग्राम झालावाड दिनांक 02.01.2005, नकल नामान्तरकरण पंजिका 1093 ग्राम झालावाड दिनांक 16.09.2010, नकल जमाबंदी संवत 2062–2065 ग्राम झालावाड पेश की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं। अतः न्याय हित में आर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपशमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। उभयपक्ष द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में की गई विभिन्न नजीरों का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2022 अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर आधारित है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.04.2006 के अनुसार इकरारनामा (सेल डीड) के संबंध में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायलय को है, ना कि राजस्व न्यायालय को। अतः अनरजिस्टर्ड दस्तावेज/सेल डीड से संबंधित प्रकरण को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2022 को निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2022 को निरस्त किया जाता है।

अपील में वर्णित तथ्यों से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि विवादित आराजी के संबंध में रेस्पोडेंट क्रम 1 को छोड़कर शेष उभयपक्षकारान के मध्य वाद संख्या 853/2021 उनवान अनन्त बनाम बसन्तीलाल से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा जैरकार है। प्रस्तुत अपील के तथ्यों से स्पष्ट है कि उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार घोषणात्मक वाद (वाद संख्या 853/2021) में निर्धारित होना है। अतः निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी झालावाड को भिजवाते हुए निर्देशित किया जाता है कि वाद संख्या 853/2021 उनवान अनन्त बनाम बसन्तीलाल में दायर घोषणात्मक वाद का निर्णय साक्ष्य एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें ताकि पक्षकारान के हितों का निर्धारण हो सके।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/4/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा